**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**सोमवार, 28 जुलाई, 2014, 6 श्रावण, 1936 (शक) मौखिक प्रश्‍न सं. \*297**

**ई-रिक्शाओं को वैध बनाने के कारण**

**\*297. श्री बी. के. हरिप्रसाद:**

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने यातायात जाम करने वाले, सड़कों को अवरुद्ध करने वाले और अक्सर चार सवारियों को बैठाए जाने की सीमा को तोड़ने वाले ई-रिक्शाओं के बारे में आलोचना की है;

(ख) क्या मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत ई-रिक्शाओं को वर्गीकृत नहीं किया जाता है जिससे यातायात पुलिस उन्हें विनियमित करने में लाचार है;

(ग) क्या दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले ई-रिक्शाओं ने, जोकि चीन में निर्मित और देश में पुर्जे जोड़ कर बनाए गए सस्ते यन्त्र हैं अचानक ही हजारों परंपरागत साइकिल रिक्शा चालकों को बेरोजगार कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली की सड़कों पर ई-रिक्शाओं के चलाने को वैधता प्रदान किए जाने के क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री कृष्‍णपाल गुर्जर)**

**(क) से (घ)** एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

**ई-रिक्शाओं को वैध बनाने के कारण के संबंध में श्री बी. के. हरिप्रसाद द्वारा दिनांक 28.07.2014 के लिए पूछे गए राज्‍य सभा के मौखिक प्रश्‍न संख्‍या \*297 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण**

(क) ई-रिक्‍शों के संचालन के बारे में 2013 की एक रिट याचिका (सिविल) 5764 दायर की गयी है। माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा समय-समय पर इस मामले में आदेश दिये गये है तथापि, भारत संघ सरकार इस रिट याचिका में प्रतिवादी नहीं है।

(ख) इलेक्‍ट्रोनिक मोटर से चलने वाले तिपहिया मोटर वाहनों के इस समय मोटर यान अधिनियम, 1988 (एमवीएक्‍ट) की धारा 2 की उपधारा (28) में ‘मोटर यान’ की परिभाषा में शामिल किया गया है।

**(ग) और (घ)** मानव चालित रिक्‍शे राज्‍य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं क्‍योंकि यांत्रिक संचालित वाहनों से भिन्‍न वाहन भारत के संविधान की अनुसूची-VII में राज्‍य सूची की सूची 2 की प्रविष्‍टि-13 में विनिर्दिष्‍ट है। जहां तक ई-रिक्‍शों को वैध बनाने का संबंध है, हजारों गरीब ई-रिक्‍शा चालक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से मिले थे और उन्‍होंने ई-रिक्‍शों के नियमतीकरण के लिए अनुरोध किया था। उन्‍होंने यह तर्क दिया कि हजारों ई-रिक्‍शा चालक और उनके परिवार अपने जीविकोपार्जन के लिए इन वाहनों पर निर्भर है। यह भी महत्‍वपूर्ण समझा गया है कि लाखों दैनिक यात्री सार्वजनिक परिवहन का इस्‍तेमाल करते है क्‍योंकि यह वाहन गंतव्‍य के अंतिम छोर तक सड़क संपर्कता प्रदान करते है। पूर्वोक्‍त तथ्‍यों को ध्‍यान में रखते हुए, मंत्रालय का प्रस्‍ताव मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 की उपधारा (28) में मोटर वाहन की परिभाषा में संशोधन करने का है ताकि 650 वाट अथवा इससे कम क्षमता के इंजन वाले विद्युत मोटर चालित तिपहिया और 250 वाट अथवा इससे कम क्षमता के इंजन वाले विद्युत मोटर चालित दुपहिया वाहनों को अधिनियम के क्षेत्राधिकार से छूट प्रदान की जा सके ।

\*\*\*\*